न्यायमूर्ति महाबीर सिंह सिंधु के समक्ष

सोनिया जेठी- याचिकाकर्ता

बनाम

राघव जेठी और अन्य- उत्तरवादी

सी.आर. नंबर 2021 का 1378

27 जुलाई, 2021

क . भारत का संविधान, 1950, अनुच्छेद 227 - सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908, आदेश 7, नियम 11 - बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988, धारा 2 (9) ए - "बेनामी लेनदेन" - वाद की अस्वीकृति के लिए आवेदन को खारिज करना - बेनामी अधिनियम की धारा 2 (9) (ए) (ए) के खंड ए (ए) (ii) (पूर्वोक्त) के मद्देनजर आयोजित किया जाता है, जहां संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई या भुगतान की गई संपत्ति के लिए विचार की जाती है। किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए न्यासीय क्षमता में खड़े व्यक्ति द्वारा, जिसके प्रति वह ऐसी क्षमता में खड़ा है जो बेनामी लेनदेन के दायरे में नहीं आता है - इसके अलावा, संपत्ति के हस्तांतरण को बेनामी लेनदेन के रूप में घोषित करने के लिए, बेनामी अधिनियम के तहत उचित प्रक्रिया निर्धारित की गई है और याचिकाकर्ता के कहने पर केवल दावा करने से प्रतिवादी का दावा रद्द नहीं होगा -इसलिए वाद कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है। वाद की अस्वीकृति के लिए आवेदन को उचित रूप से खारिज करना।

यह निर्धारित किया गया कि हालांकि, याचिकाकर्ता के कहने पर बेनामी लेनदेन की याचिका उठाई गई है, लेकिन बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'बेनामी अधिनियम') की धारा 2 (9) ए के तहत बनाए गए अपवाद के मद्देनजर यह पूरी तरह से गलत है और जो निम्नानुसार है: -

> “2. परिभाषाएँ- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा आवश्यकता न हो,
>
> (1) से (8).....
>
> (9) "बेनामी लेनदेन" का अर्थ है, -
>
> (क) एक लेनदेन या व्यवस्था -
>
> (अ) जहां एक संपत्ति किसी व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है, या उसके पास होती है, और ऐसी संपत्ति के लिए विचार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया है, या भुगतान किया गया है; और

(आ) संपत्ति उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तत्काल या भविष्य के लाभ के लिए रखी गई है, जिसने विचार प्रदान किया है,

सिवाय इसके कि जब संपत्ति किसके पास है-

(i) एक कर्ता, या हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य, जैसा भी मामला हो, और संपत्ति उसके लाभ या परिवार के अन्य सदस्यों के लाभ के लिए रखी जाती है और ऐसी संपत्ति के लिए प्रतिकूल हिंदू अविभाजित परिवार के ज्ञात स्रोतों से प्रदान या भुगतान किया गया है;

(ii) किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए न्यासीय क्षमता में खड़ा व्यक्ति, जिसके प्रति वह ऐसी क्षमता में खड़ा है और जिसमें निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम सं 22) के तहत निक्षेपागार के एजेंट के रूप में एक ट्रस्टी, निष्पादक, भागीदार, एक कंपनी का निदेशक, एक निक्षेपागार या भागीदार शामिल है और कोई अन्य व्यक्ति जो इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

(iii) कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के नाम पर या ऐसे व्यक्ति के किसी बच्चे के नाम पर एक व्यक्ति है और ऐसी संपत्ति के लिए प्रतिफल व्यक्ति के ज्ञात स्रोतों से प्रदान या भुगतान किया गया है;

(iv).....

खंड ए (ए) (ii) (पूर्वोक्त) के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जहां कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को हस्तांतरित या धारित की जाती है और ऐसी संपत्ति के लिए विचार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान या भुगतान किया गया है और इसे किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए न्यासीय क्षमता में खड़े व्यक्ति द्वारा रखा गया है, जिसके प्रति वह ऐसी क्षमता में खड़ा है, तो यह बेनामी लेनदेन के दायरे में नहीं आता है और इस प्रकार, इस आशय का तर्क अस्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, संपत्ति के हस्तांतरण को बेनामी लेनदेन के रूप में घोषित करने के लिए, बेनामी अधिनियम के तहत उचित प्रक्रिया निर्धारित की गई है और याचिकाकर्ता के कहने पर केवल दावा करने से प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का दावा समाप्त नहीं होगा।

(पैरा 12)

माना कि इन सबसे ऊपर, यह कहना एक बात है कि वादी के लिए मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं है और यह कहना दूसरी बात है कि वाद कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है।

(पैरा 14)

ख. पंजीकरण अधिनियम, 1949, धारा 17 - 100/- रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति का अनिवार्य पंजीकरण, दोनों संपत्तियों को पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के अनुसार याचिकाकर्ता के नाम पर बिक्री विलेख के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, जिसमें मौखिक समझ थी कि इसे 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उत्तरदाताओं के पक्ष में स्थानांतरित किया जाएगा - इसलिए, सिवल प्रक्रिया संहिता के नियम 11 के आदेश 7 के तहत आवेदन पर फैसला करते समय बचाव पक्ष की याचिका पर गौर नहीं किया जा सकता।

यह माना गया कि 100/- रुपये से अधिक मूल्य वाली संपत्ति के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से उठाई गई याचिका इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी सहायक नहीं है कि दोनों संपत्तियों को पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के संदर्भ में याचिकाकर्ता के नाम पर बिक्री विलेख के माध्यम से इस मौखिक समझ के साथ स्थानांतरित किया गया था कि संपत्ति प्राप्त करने पर इसे प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पक्ष में स्थानांतरित किया जाएगा। उम्र 20 साल। उम्र प्राप्त करने पर स्थानांतरित किया फिर, यह बचाव पक्ष की दलील है और इस तरह, आदेश 7 नियम 11 सिवल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन पर फैसला करते समय इस पर गौर नहीं किया जा सकता है।

(पैरा 13)

अरुण सिंघल, वकील,
याचिकाकर्ता/प्रतिवादी नंबर 1 के लिए।

महाबीर सिंह सिंधु, जे।

(1) वर्तमान याचिका संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत दायर की गई है, जिसमें विद्वान सिविल जज (जूनियर डिवीजन), पानीपत (संक्षिप्त 'ट्रायल कोर्ट' के लिए) द्वारा पारित 14.07.2021 (पी 4) के आक्षेपित आदेश को रद्द करने के लिए कहा गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता (प्रतिवादी नंबर 1) के कहने पर सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 7 नियम 11 (संक्षेप में 'सिवल प्रक्रिया संहिता') के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया गया था।

(2) याचिकाकर्ता प्रतिवादी नंबर 1 और 2-वादी की मां है, जबकि प्रतिवादी नंबर 3 उसका पति है। प्रतिवादी संख्या 1 और 2 ने इस आशय की घोषणा के लिए सिविल मुकदमा (पी -1) दायर किया कि वे 56 वर्ग मीटर (संपत्ति संख्या 333-आर का हिस्सा, मॉडल टाउन, पानीपत) और साथ ही 115.65 वर्ग मीटर की संपत्ति के मालिक हैं। (संपत्ति संख्या 236-आर, मॉडल टाउन, पानीपत का हिस्सा), दोनों याचिकाकर्ता के नाम पर पंजीकृत हैं, जो क्रमशः 14.09.2012 को वासिका नंबर 3896 और 01.02.2016 को वासिका नंबर 8736 वाले बिक्री विलेख के तहत पंजीकृत हैं, इस समझ के साथ कि इसे 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर प्रतिवादी नंबर 1 और 2 के पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। आगे अनुरोध

याचिकाकर्ता को उनके शांतिपूर्ण कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने और किसी भी तरह से इसे अलग नहीं करने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की परिणामी राहत के लिए है।

(3) नोटिस पर, याचिकाकर्ता उपस्थित हुआ और वाद की अस्वीकृति के लिए आदेश 7 नियम 11 सिवल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन दायर किया, जिसका संयुक्त उत्तर के माध्यम से प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के कहने पर विरोध किया गया था।

(4) ट्रायल कोर्ट ने वाद में दिए गए कथनों पर विचार करने के बाद, आक्षेपित आदेश पारित करते हुए आवेदन को खारिज कर दिया।

(5) अतः, वर्तमान याचिका।

(6) याचिकाकर्ता के वकील का तर्क है कि वाद कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है; यदि वाद में दिए गए कथनों को सही माना जाता है, तो भी दोनों बिक्री विलेख को बेनामी लेनदेन के रूप में माना जाएगा और इस प्रकार, मुकदमा कानून द्वारा प्रतिबंधित है। आगे तर्क दिया गया कि पंजीकरण के प्रावधानों के मद्देनजर अधिनियम, 1908 (संक्षेप में 'पंजीकरण अधिनियम' के अनुसार, 100/- रुपये से अधिक मूल्य की प्रत्येक अचल संपत्ति को अनिवार्य पंजीकरण की आवश्यकता होगी, इस प्रकार, प्रतिवादी संख्या 1 और 2 केवल कथित मौखिक समझ के आधार पर स्वामित्व का दावा नहीं कर सकते हैं।

(7) याचिकाकर्ता के वकील को सुना और आक्षेपित आदेश के साथ पेपर-बुक का अवलोकन किया।

(8) वर्तमान मामले के अधिनिर्णय के लिए, सिवल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार निकाला गया है: -

> **11. वाद-पत्र की अस्वीकृति।**-निम्नलिखित मामलों में वाद को अस्वीकार कर दिया जाएगा-
>
> (क) जहां यह कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करता है;
>
> (ख & ग) .....
>
> (ड.) जहां वाद वाद में दिए गए कथन से प्रतीत होता है कि किसी भी कानून द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है;
>
> (च & छ) .....

यह अच्छी तरह से तय है कि सिवल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 के तहत आवेदन पर विचार करते समय, वाद में किए गए कथनों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या यह कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है या क्या

मुकदमा किसी कानून द्वारा निषिद्ध है और इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले शीर्षक **मदनुरी श्री राम चंद्र मूर्ति बनाम सैयद जलाल**[1], के पैरा नंबर 8 में संदर्भ दिया जा सकता है, जो निम्नानुसार है: -

> "यदि उक्त प्रावधान में उल्लिखित शर्तों को पूरा किया जाता है तो आदेश सात नियम 11 के तहत वादपत्र को खारिज किया जा सकता है। यह देखने की आवश्यकता नहीं है कि आदेश VII नियम 11, सिवल प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का उपयोग अदालत द्वारा मुकदमे के किसी भी चरण में किया जा सकता है। आवेदन पर निर्णय लेने के लिए जिन प्रासंगिक तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वे केवल वादपत्र के कथन हैं। यदि वाद के संपूर्ण और सार्थक अध्ययन पर, यह पाया जाता है कि मुकदमा दायर करने के किसी भी अधिकार का खुलासा नहीं करने के अर्थ में स्पष्ट रूप से कष्टदायक और योग्यताहीन है, तो अदालत को आदेश VII नियम 11, सिवल प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। चूंकि सीमा पर सिविल कार्रवाई को समाप्त करने के लिए न्यायालय को दी गई शक्ति कठोर है, इसलिए वाद की अस्वीकृति की शक्ति के प्रयोग के लिए सिवल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत उल्लिखित शर्तों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। वाद पत्र के कथनों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या कथन कार्रवाई के कारण का खुलासा करते हैं या क्या मुकदमा किसी कानून द्वारा प्रतिबंधित है। यह देखने की जरूरत नहीं है कि यह सवाल कि क्या मुकदमा किसी कानून द्वारा प्रतिबंधित है, हमेशा प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। वाद की अस्वीकृति के लिए प्रतिवादी की प्रार्थना पर विचार करते समय लिखित बयान के साथ-साथ प्रतिवादी के तर्क पूरी तरह से महत्वहीन हैं। यहां तक कि जब वाद में लगाए गए आरोपों को उनके अंकित मूल्य पर समग्र रूप से सही माना जाता है, यदि वे यह दर्शाते हैं कि मुकदमा किसी कानून द्वारा निषिद्ध है, या कार्रवाई के कारण का खुलासा नहीं करते हैं, तो वाद की अस्वीकृति के आवेदन पर विचार किया जा सकता है और सिवल प्रक्रिया संहिता के आदेश VII नियम 11 के तहत शक्ति का उपयोग किया जा सकता है। यदि वाद पत्र का चतुराई से मसौदा तैयार करने से कार्रवाई के कारण का भ्रम पैदा हो गया है, तो अदालत जल्द से जल्द इस पर रोक लगाएगी ताकि फर्जी मुकदमे बाजी पहले चरण में ही समाप्त हो जाए।"

स्वामी आत्मानंद बनाम श्री रामकृष्ण तपोवनम[2] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने फैसले के पैरा 24 में "कार्रवाई के कारण" की व्याख्या करते हुए निम्नानुसार टिप्पणी की: -

---

[1] (2017) 13 SCC 174
[2] (2005) 10 SCC 51

"इस प्रकार, कार्रवाई का एक कारण, हर तथ्य का मतलब है, जिसे यदि पार किया जाता है, तो वादी के लिए अदालत के फैसले के अपने अधिकार का समर्थन करने के लिए साबित करना आवश्यक होगा। दूसरे शब्दों में, यह तथ्यों का एक पुलिंदा है, जो उन पर लागू कानून के साथ लिया गया है, वादी को प्रतिवादी के खिलाफ राहत का अधिकार देता है। इसमें प्रतिवादी द्वारा किए गए कुछ कार्य शामिल होने चाहिए क्योंकि इस तरह के कार्य की अनुपस्थिति में, कार्रवाई का कोई कारण संभवतः प्राप्त नहीं हो सकता है। यह मुकदमे के अधिकार के वास्तविक उल्लंघन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें उन सभी भौतिक तथ्यों को शामिल किया गया है जिन पर इसकी स्थापना की गई है। "

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के मद्देनजर, यह बहुत स्पष्ट है कि वाद की अस्वीकृति के आवेदन पर विचार करते समय लिखित बयान के साथ-साथ प्रतिवादी (ओं) की दलीलें पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और जहां तक कार्रवाई के कारण का संबंध है, यह केवल मुकदमे के अधिकार के वास्तविक उल्लंघन तक सीमित नहीं होगा। लेकिन इसमें उन सभी भौतिक तथ्यों को भी शामिल किया गया है जिन पर इसकी स्थापना की गई है।

(9) ट्रायल कोर्ट, वाद के अवलोकन और विशेष रूप से उसके पैरा नंबर 26 का संदर्भ देने पर, इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है। हालांकि, याचिकाकर्ता ने तथ्यों को छिपाने के बारे में भी याचिका उठाई, लेकिन इसे ट्रायल कोर्ट द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आदेश 7 नियम 11 सिवल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन पर विचार करते समय ऐसा आधार उपलब्ध नहीं है।

(10) इस न्यायालय ने वाद-पत्र का भी पूरी तरह से अध्ययन किया है और इसके पैरा 9, 14, 15, 16 और 26 को प्रासंगिक होने के नाते निम्नानुसार पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"**9**. यह कि दो संपत्तियां, जो वर्तमान मुकदमे का विषय हैं, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 के नाम पर उनके द्वारा प्रदान की गई धनराशि / विचार से खरीदी गई थीं। उक्त दो संपत्तियां, जो वर्तमान वाद का विषय हैं, निधियां/विचार जो प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रदान किए गए थे, निम्नानुसार हैं: -

(क) 56 वर्ग गज की संपत्ति, जो मकान संख्या 333-आर, मॉडल टाउन, पानीपत का हिस्सा है। यह संपत्ति प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा प्रतिवादी नंबर 1 के नाम पर दिनांक 14.09.2012 के बिक्री विलेख के तहत खरीदी गई थी। यह संपत्ति श्रीमती प्रेम कुमारी और श्री राजेश कुमार से 11,00,000/- रुपये (केवल ग्यारह लाख रुपये) में खरीदी गई थी। [इसके बाद इसे **"संपत्ति न. 1"** के रूप में संदर्भित किया जाता है] "

(ख) 11565 वर्ग गज की संपत्ति, जो संपत्ति संख्या 236-आर, मॉडल टाउन, पानीपत का भाग है। यह संपत्ति प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा मेसर्स गोबिंद डायमंड्स प्राइवेट लिमिटेड से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम पर दिनांक 01.02.2016 के विक्रय विलेख के माध्यम से 26,80,000/- रुपये (छब्बीस लाख अस्सी हजार रुपये मात्र) में खरीदी गई थी। [इसके बाद इसे **"संपत्ति न. 2"** के रूप में संदर्भित किया जाता है]

14. जब प्रतिवादी नंबर 1 के नाम पर दो संपत्तियों का अधिग्रहण / खरीद किया गया था, तो दोनों बार मौखिक रूप से दोनों प्रतिवादियों द्वारा यह तय किया गया था, सहमति दी गई थी, समझा गया था और पुष्टि की गई थी और दोनों वादियों को यह भी बताया गया था कि प्रतिवादी नंबर 1 दोनों संपत्तियों को ट्रस्ट में रखेगा और वादी के प्रति एक वैशवासिक क्षमता में खड़ा होगा। इस मुकदमे के पक्षकार और विशेष रूप से प्रतिवादी नंबर 1 को शुरू से ही पता था कि मुकदमा संपत्तियों में उसका कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं है और वह केवल वादी के लिए ट्रस्ट में इसे रख रही थी और अंततः मुकदमा संपत्तियों को दो वादियों के नाम पर समान हिस्से में स्थानांतरित किया जाना है। जब दोनों 20 साल के हो जाते हैं। यह कहा गया है कि वादी नंबर 1 ने 29.01.2019 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त की और वादी नंबर 2 ने 26.06.2020 को 20 वर्ष की आयु प्राप्त की। यह कहा गया है कि दो मुकदमा संपत्तियों की खरीद की तारीख से ही, वादी के अधिकारों को अच्छी तरह से मान्यता दी गई थी। इसलिए, 26.06.2020 के बाद मौखिक समझ के संदर्भ में, प्रतिवादी नंबर 1 को वादी के पक्ष में मुकदमा संपत्तियों को स्थानांतरित करना चाहिए था। यह प्रतिवादी नंबर 1 का कर्तव्य और दायित्व था।

15. यही कारण है कि प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा वादी के नाम पर मुकदमा संपत्तियों को नहीं खरीदा गया था, शुरुआत में, जब उक्त संपत्तियों को क्रमशः 14.09.2012 और 01.02.2016 को खरीदा गया था, यह था कि प्रतिवादी नंबर 2 चाहता था कि वादी पहले बुनियादी शिक्षा पूरी करें और संपत्तियों को संभालने के लिए पर्याप्त परिपक्व हो जाएं। इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि उक्त संपत्तियों को वादी को हस्तांतरित किया जाएगा जब वे 20 वर्ष की आयु प्राप्त करेंगे।

16. यह पार्टियों द्वारा अच्छी तरह से समझा गया था कि प्रतिवादी नंबर 1 वादी के लाभ के लिए एक वैशवासिक क्षमता में खड़ा था, जिसके प्रति वह ऐसी क्षमता में खड़ा था। संपत्तियों को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा ट्रस्ट में और दो वादियों के लाभ के लिए रखा गया था, जबकि उनके बच्चे होने के नाते उनके प्रति एक वैशवासिक क्षमता में खड़े थे।

26. वर्तमान मुकदमा दायर करने की कार्रवाई का कारण वादी के पक्ष में और प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ विभिन्न तारीखों पर उत्पन्न हुआ, जैसा कि वाद में

उल्लेख किया गया है। कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी नंबर 1 ने अवैध रूप से मुकदमा संपत्तियों के संबंध में अधिकारों का दावा करना और दावा करना शुरू कर दिया, मौखिक समझ से अलग होकर कि वह केवल ट्रस्ट में और दो वादियों के लाभ के लिए मुकदमा संपत्तियों को धारण कर रही थी और केवल वादी के प्रति एक वैशवासिक क्षमता में खड़ी थी। कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ जब वादी नंबर 1 29.01.2019 को 20 वर्ष का हो गया। कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ जब वादी नंबर 2 26.06.2020 को 20 वर्ष का हो गया। कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी नंबर 1 ने दिसंबर, 2020 में चंडीगढ़ में प्रतिवादी नंबर 1 के साथ एक बैठक में समान शेयरों में मुकदमा संपत्तियों को वादी को हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया। कार्रवाई का कारण तब और उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी नंबर 1 के आचरण से यह स्पष्ट हो गया कि वह वादी को उनकी संपत्तियों से वंचित करना चाहती है, जिसे वह ट्रस्ट में और वादी के लाभ के लिए रखती थी, जबकि वादी के प्रति विश्वासपूर्ण क्षमता में खड़ी थी। कार्रवाई का कारण तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी नंबर 1 ने दो संपत्तियों के कब्जे में हस्तक्षेप किया है। जहां तक संपत्ति नंबर 1 का सवाल है तो वहां से मैसर्स कृष्णा कृष्णा ज्वेलर्स एंड इन्वेस्टमेंटस प्राइवेट लिमिटेड का शोरूम चलाया जा रहा है। वादी नंबर 1 उक्त कंपनी में निदेशक है। प्रतिवादी नंबर 1 ने संपत्ति नंबर 2 पर जबरन कब्जा करने का भी प्रयास किया है, जो मेसर्स इंटीरियर ड्रीम्स प्राइवेट लिमिटेड की किरायेदारी में है और उक्त किरायेदार के कब्जे में हस्तक्षेप कर रहा है। कार्रवाई का कारण वादी के पक्ष में और प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ जारी है।

उपरोक्त पैराग्राफ में किए गए कथनों के अनुसार, दोनों बिक्री विलेखों के लिए पूरा विचार प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पिता द्वारा भुगतान किया गया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि बिक्री विलेख याचिकाकर्ता के नाम पर निष्पादित किए गए थे, लेकिन उन्हें पार्टियों के बीच मौखिक समझ के साथ कहा जाता है कि याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के लाभ के लिए विश्वासपूर्ण संबंध के कारण ट्रस्ट में संपत्ति रखेगा और 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उनके पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। वाद के पैरा 15 में, यह विधिवत रूप से समझाया गया है कि याचिकाकर्ता के नाम पर संपत्तियों को इस कारण से खरीदा गया था कि पहले प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को अपनी बुनियादी शिक्षा पूरी करनी चाहिए और जब वे पर्याप्त परिपक्व हो जाएंगे, तो संपत्तियों को उनके पक्ष में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(11) जाहिर है, प्रतिवादी नंबर 1 और 2 को बिक्री विलेख के संबंध में अपने पिता (प्रतिवादी नंबर 3) द्वारा कथित रूप से प्रदान की गई मौखिक समझ के साथ-साथ धन के

स्रोत के तथ्य को साबित करना होगा, लेकिन निश्चित रूप से वाद कार्रवाई के कारण का खुलासा करता है।

(12) हालांकि, याचिकाकर्ता के कहने पर बेनामी लेनदेन की एक याचिका उठाई गई है, लेकिन बेनामी संपत्ति लेनदेन निषेध अधिनियम, 1988 (संक्षेप में 'बेनामी अधिनियम' के लिए) की धारा 2 (9) ए के तहत बनाए गए अपवाद के मद्देनजर यह पूरी तरह से गलत है और जो निम्नानुसार है: -

"2. परिभाषाएँ- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) तक (8) .....

(9) "बेनामी लेनदेन" का अर्थ है, -

(क) एक लेनदेन या व्यवस्था -

(अ) जहां एक संपत्ति किसी व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है, या उसके पास होती है, और ऐसी संपत्ति के लिए विचार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किया गया है, या भुगतान किया गया है; और

(आ) संपत्ति उस व्यक्ति के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तत्काल या भविष्य के लाभ के लिए रखी गई है, जिसने विचार प्रदान किया है,

सिवाय इसके कि जब संपत्ति किसके पास है-

(i) एक कर्ता, या हिंदू अविभाजित परिवार का सदस्य, जैसा भी मामला हो, और संपत्ति उसके लाभ या परिवार के अन्य सदस्यों के लाभ के लिए रखी जाती है और ऐसी संपत्ति के लिए प्रतिकूल हिंदू अविभाजित परिवार के ज्ञात स्रोतों से प्रदान या भुगतान किया गया है;

(ii) किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए न्यासीय क्षमता में खड़ा व्यक्ति, जिसके प्रति वह ऐसी क्षमता में खड़ा है और जिसमें निक्षेपागार अधिनियम, 1996 (1996 का अधिनियम सं 22) के तहत निक्षेपागार के एजेंट के रूप में एक ट्रस्टी, निष्पादक, भागीदार, एक कंपनी का निदेशक, एक निक्षेपागार या भागीदार शामिल है और कोई अन्य व्यक्ति जो इस उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सकता है;

(iii) कोई व्यक्ति अपने पति या पत्नी के नाम पर या ऐसे व्यक्ति के किसी बच्चे के नाम पर एक व्यक्ति है और ऐसी संपत्ति के लिए प्रतिफल व्यक्ति के ज्ञात स्रोतों से प्रदान या भुगतान किया गया है;

(iv).....

खंड ए (ए) (ii) (पूर्वोक्त) के अवलोकन से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जहां कोई संपत्ति किसी व्यक्ति को हस्तांतरित या धारित की जाती है और ऐसी संपत्ति के लिए विचार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान या भुगतान किया गया है और यह किसी अन्य व्यक्ति के लाभ के लिए न्यासीय क्षमता में खड़े व्यक्ति द्वारा रखा गया है, जिसके प्रति वह ऐसी क्षमता में खड़ा है, तो यह बेनामी के दायरे में नहीं आता है। लेन-देन और इस प्रकार, इस आशय का विवाद अस्वीकार किया जा सकता है। इसके अलावा, संपत्ति के हस्तांतरण को बेनामी लेनदेन के रूप में घोषित करने के लिए, बेनामी अधिनियम के तहत उचित प्रक्रिया निर्धारित की गई है और याचिकाकर्ता के कहने पर केवल दावा करने से प्रतिवादी संख्या 1 और 2 का दावा समाप्त नहीं होगा।

(13) 100 रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति के अनिवार्य पंजीकरण के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से उठाई गई याचिका इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भी सहायक नहीं है कि दोनों संपत्तियों को पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के संदर्भ में याचिकाकर्ता के नाम पर बिक्री विलेख के माध्यम से इस मौखिक समझ के साथ स्थानांतरित किया गया था कि 20 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर इसे प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के पक्ष में स्थानांतरित किया जाएगा। फिर, यह बचाव पक्ष की दलील है और इस तरह, आदेश 7 नियम 11 सिवल प्रक्रिया संहिता के तहत आवेदन पर फैसला करते समय इस पर गौर नहीं किया जा सकता है।

(14) सर्वोपरि, यह कहना एक बात है कि वादी के लिए मुकदमा दायर करने के लिए कार्रवाई का कोई कारण नहीं है और यह कहना दूसरी बात है कि वाद कार्रवाई के किसी भी कारण का खुलासा नहीं करता है।

(15) ऊपर चर्चा किए गए तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का सुविचारित विचार है कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 और 2 के कहने पर मुकदमा जारी रखने के लिए कार्रवाई के पर्याप्त कारण का खुलासा करता है।

नतीजतन, विद्वान ट्रायल कोर्ट की राय से सहमत होते हुए, याचिका को खारिज करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।

तदनुसार आदेश दिया।

हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ऊपर की गई टिप्पणियों को किसी भी तरह से ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमे के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाना चाहिए।

ऋतंबरा ऋषि

अस्वीकरण - स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देशय के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है | सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

रोहतास,
(अनुवादक)